पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कमांक 9301 /अका./का.प./2006 रायपुर, दिनांक 06-10.09.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29 सितंबर, 2006 को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	–	सदस्य
3.	डॉ. शशिभूषण	–	सदस्य
4.	डॉ. एच.आर. शर्मा	–	सदस्य
5.	डॉ. हर्षवर्धन तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. सुश्री हेमलता महोबे	–	सदस्य
7.	डॉ. एम.ए. खान	–	सदस्य
8.	डॉ. जी.डी. साव	–	सदस्य
9.	डॉ. युगल भारती	–	सदस्य
10.	डॉ. आर.एन. मिश्र	–	सदस्य
11.	डॉ. एम.एम. हम्बर्डे	–	सदस्य
12.	श्री रमेश नैयर	–	सदस्य
13.	श्री राहुल महावर	–	सदस्य
14.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम कार्यपरिषद के अध्यक्ष कुलपति जी के द्वारा परिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र एवं डॉ.एम.एम.हम्बर्डे का कार्यपरिषद सदस्य के रूप में प्रथम बार उपस्थिति पर कार्यपरिषद की ओर से स्वागत करते हुये आशा व्यक्त की कि कार्यपरिषद में उनका सक्रिय योगदान रहेगा।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. कार्यपरिषद की दिनांक 14.08.2006 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद की दिनांक 14.08.2006 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर निम्नानुसार संशोधन करते हुये कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १४.८.२००६ के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई ।

१. कार्यपरिषद के पूर्व निर्णय पर पंद्रह दिनों के अंदर कार्यवाही पूर्ण करें।

२. जिन बिंदुओं पर डॉ एच.व्ही.तिवारी कार्यपरिषद सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है उसे १५ दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जावे।

३. कुलपति के द्वारा कु.शिखा विश्वकर्मा शोध छात्रा के प्रकरण पर सदस्यों को जानकारी दी गई कि संबंधित छात्रा ने शोध निर्देशक परिवर्तित करने हेतु निवेदन किया है इस संबंध में उपकुलसचिव द्वारा शोध निर्देशक परिवर्तन करने के नियम की जानकारी देते हुये शोध निर्देशक का नाम एवं उनकी सहमति के साथ आवेदन करने हेतु संबंधित को सूचित किया है।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

2. विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 29.08.2006 एवं 04.09.2006 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना । (कार्यवृत्त संलग्न है)

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

3. विश्वविद्यालय बजट 2006–07 के क. C-vi-10 (V-SAT Networking) में प्रावधानित राशि रू. 5.00 लाख को बढ़ाकर रू. 10.00 लाख करने पर विचार करना ।

निर्णय : विश्वविद्यालय बजट 2006–07 के क. C-vi-10 (V-SAT Networking) में प्रावधानित राशि रू. 5.00 लाख को बढाकर रू. 10.00 लाख करने की स्वीकृति प्रदान की गई । इस राशि को C-vi (6) में प्रावधानित राशि से पुर्ननियोजित की जावे।

(कार्यवाही - वित्त विभाग)

4. तकनीकी महाविद्यालयों के शोधकेन्द्रों के रूप में मान्यता दिये जाने के संबंध में पुनः विचार करना ।

निर्णय : इस प्रकरण में समस्त पहलुओं पर विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से चर्चा कर संबंधित प्रकरण में डीन अभियांत्रिकी से अभिमत प्राप्त कर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

5. परिनियम 20 के अंतर्गत संचालक, शारीरिक शिक्षा के चयन समिति के लिए सदस्य नामांकित करने बाबत ।

निर्णय : संचालक, शारीरिक शिक्षा की चयन समिति हेतु कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में डॉ. शशिभूषण को मनोनीत किया गया तथा दो विषय विशेषज्ञों (जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो) को नामांकित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही - प्रशासन विभाग)

6. गुरूकुल महाविद्यालय, मगरलोड, धमतरी में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : गुरूकुल महाविद्यालय, मगरलोड, धमतरी में प्राचार्य पद पर डॉ. कुबेर सिंह गुरूपंच की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

7. अपोलो कॉलेज, दुर्ग में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश में रोक के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : अपोलो कॉलेज, दुर्ग में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को अंतिम चेतावनी दी जावे । यदि भविष्य में नियमों का पालन नहीं होता है तो बी.एड. पाठ्यक्रम में आगामी वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे तथा राज्य शासन एवं एन.सी.टी.ई. को सूचित किया जावे ।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

8. अध्यादेश कमांक–41 के पैरा 7 में संशोधन बाबत ।

निर्णय : अध्यादेश कमांक–41 के पैरा 7 में संशोधन को अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

9. रसायन अध्ययनशाला के लिए आबंटित इंप्रेस्ट राशि में वृद्धि [illegible] करना ।

निर्णय : वर्तमान इंप्रेस्ट राशि रू. 3000/– को वृद्धि कर रू. 10000/– करने की स्वीकृति दी गई ।

(कार्यवाही - रसायन अध्ययन शाला एवं वित्त विभाग)

10. इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज्म एण्ड हॉटल मैनेजमेंट संस्थान में स्ववित्तीय मद से रू. 2000/– इंप्रेस्ट स्वीकृत करने बाबत ।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही - इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज्म एण्ड हॉटल मैनेजमेंट संस्थान एवं वित्त विभाग)

11. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27 सितंबर, 2006 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27 सितंबर, 2006 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(1) एम.जे. कॉलेज, भिलाई, बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय, दुर्ग एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला/वाणिज्य महाविद्यालय भिलाई, तक्षशिला महाविद्यालय, दुर्ग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, गरियाबंद को बी.एड. पाठ्यक्रम तथा सृष्टि कालेज ऑफ नर्सिंग रायपुर को बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं श्री रामकृष्ण फिजियोथेरेपी महाविद्यालय को बी.पी.टी प्रथम वर्ष तथा भिलाई मैत्री महाविद्यालय को एम.एड. पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता संबंधी प्रकरण पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन्हें विशेष प्रकरण मानते हुए इनके आवेदन पर सत्र 2006–07 के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन किया गया। चूँकि अभी इन सभी महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाही होना शेष है जबकि बी.एड. की काउंसिलिंग चल रही है अतः संबंधित महाविद्यालय को आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु अस्थायी अनुमति दी जावे बशर्ते संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख करते हुये शपथ पत्र जमा करें- १.अस्थायी सम्बद्धता के पश्चात तीन माह के अंदर परिनियम २८ के तहत् नियुक्ति करेंगे। २. संबंधित पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के तहत् निर्धारित तिथि तक प्रवेश देंगे तथा यदि शासन के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्रवेश देते है तो सारी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। ३. जिन पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश हेतु अस्थायी अनुमति दी गई है उसमें प्रवेश शासन के द्वारा प्रसारित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं जिन पाठ्यक्रमों में काउसलिंग है उनमें काउसलिंग में बनाये गये नियम के तहत् प्रवेश देंगे। यदि शासन के नियमों एवं काउंसिलिंग नियमों का उल्लंघन करते है तो उनकी अस्थायी संबद्धता के प्रकरण में विश्वविद्यालय जो निर्णय लेगा वह मान्य होगा। ४. यदि महाविद्यालय उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते हुये छात्रों को प्रवेश देते है तथा प्रवेश के पश्चात् छात्रों के शिकायत या छात्रों द्वारा न्यायालयीन प्रकरण करने पर सभी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। ५. बी.एड. पाठ्यकम के लिए शुल्क विश्वविद्यालयीन अध्यापक शिक्षा संस्थान के समान अर्थात् कुल रू. 16000/– (रूपये सोलह हजार मात्र) एवं एम.एड. के लिये कुल रूपये ३०,०००/- शुल्क जमा कराकर प्रवेश देंगे। उपरोक्त प्रक्रिया इस प्रकार के अन्य प्रकरणों पर भी लागू होगा।

(2) शास. महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा, शास. महाविद्यालय, अंतागढ़ तथा शासकीय महाविद्यालय, डौण्डी के अस्थायी सम्बद्धता संबंधित प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इसे विशेष

प्रकरण मानते हुये इसके आवेदन के आधार पर सत्र 2006–07 के लिये अस्थायी सम्बद्धता की प्रक्रिया के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुमोदन किया गया।

(3) शासकीय महाविद्यालय, गुण्डरदेही को सत्र 2006–07 से बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष (माइकोबायलाजी) की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिये निरीक्षण समिति द्वारा जो कमियाँ बताई गई है उसकी पूर्ति शासन द्वारा करने का आश्वासन श्री युगल भारती के द्वारा करने के पश्चात् अस्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

12. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ 3–50/2005/उशि/38, दिनांक 01.05.2006 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु स्वीकृत सेटअप में उल्लेखित वेतनमान के संबंध में विचार करना ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि (१)उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक १.५.२००६ के द्वारा विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप में उल्लेखित वेतनमान दिनांक १.५.२००६ से प्रभावशील माना जावे। (२) आवश्यकतानुसार शासन के द्वारा स्वीकृत सेटअप के आधार पर पुनःवेतनमान का निर्धारण में म.प्र.मूलभूत नियम २२ (ए) की कंडिका २ के अनुसार किया जावे। (३) उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अशैक्षणिक पदों में से विभिन्न पदों में कार्यरत ऐसे संवर्ग के कर्मचारी जिन्हें म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश ३-एफ-१८/१३/९९/सी-३/३८ दिनांक १५.१२.१९९९ के परिपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेटअप स्वीकृति के पूर्व वेतनमान एवं नये पद सृजन कर पुनरीक्षित/संशोधित उच्च वेतनमान विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं जिनका कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत वेतनमान पर वेतन को आवासीय अंकेक्षण द्वारा अंतिम वेतन निर्धारण अनुमोदित किया जा चुका है। जिन पदों में सेटअप मान्य करने के पश्चात् वेतनमान कम होने के कारण अंतर की राशि की वसूली किया जाना है उनमें वसूली की छूट प्रदान की जाती है एवं इसके लिये शासन की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जावे। कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय की सूचना राज्य शासन को देते हुये पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु संस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही - प्रशासन एवं वित्त विभाग)

१३. विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान में ए.आई.सी.टी.ई. के MODROB (MODERNIZATION AND REMOVAL OF OBSELSANCE) में प्रदत्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत उपकरण कय करने हेतु अनुमोदन बाबत ।

निर्णय अनुमोदन की गई।

(कार्यवाही - वित्त शाखा एवं फारमेसी विभाग)

14. डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिहा, व्याख्याता, जैविकी अध्ययनशाला को उच्च शिक्षा एवं शोधकार्य हेतु अवकाश (01.10.2006 से 30.09.2007 तक) स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार जो शिक्षक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण किये है वे अध्ययन अवकाश के पात्र होंगे। इसी आधार पर इसे विशेष प्रकरण मानते हुये उनके अध्ययन अवकाश दिनांक १ अक्टूबर २००६ से ३०.९.२००७ तक स्वीकृत करते हुये अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - प्रशासन विभाग)

15. सेमेस्टर पद्धति पर आधारित Master of Arts in Applied Philosophy and Yoga पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक –171 को अनुमोदन प्रदान करने बाबत ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - अकादमिक विभाग)

16. विश्वविद्यालय हेल्थ सेन्टर की इंप्रेस्ट राशि रू. 2000/– से बढ़ाकर रू. 5000/– करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - वित्त शाखा एवं विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र)

17. विश्वविद्यालय भौतिकी अध्ययनशाला के वेधशाला निर्माण हेतु बजट आबंटन 2006–07, राशि रू. 20.00 लाख से अधिक व्यय राशि रू. 1,20,703/– की स्वीकृति तथा 50 प्रतिशत अग्रिम (रू. 6,13,000/–) भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - वित्त शाखा एवं भौतिकी अध्ययन शाला)

18. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, नि.व.लि., सांख्यिकी अध्ययनशाला के स्थायीकरण करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १०.७.२००३ में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जावे।

(कार्यवाही - प्रशासन विभाग)

19. "पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पेंशनर कल्याण निधि" विनियम पारित करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया कि इस संबंध में शासन से स्वीकृति लिया जावे।

(कार्यवाही - वित्त शाखा)

20. विश्वविद्यालय ग्रंथालय के विकास हेतु समस्त छात्र/छात्राओं से वार्षिक ग्रंथालय विकास शुल्क प्राप्त किये जाने बाबत ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय एवं वित्त शाखा)

21. श्रीमती बीना पाठक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के तत्पश्चात् उन्हें भुगतान किया जावे। समन्वय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गंभीर बीमारियां के लिये शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त किया जावे।

(कार्यवाही - प्रशासन एवं वित्त शाखा)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

२२. वि.वि.बजट प्रावधान ए-१७ सुरक्षा व्यवस्था प्रावधान राशि १० लाख को बढाकर राशि रू.२०.००० लाख करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वि.वि.बजट प्रावधान ए-१७ सुरक्षा व्यवस्था प्रावधान राशि १० लाख को बढाकर राशि रू.२०.००० लाख करने के लिये १० लाख रूपये की पूर्ति वि.वि. बजट ए-२५ में प्रावधानित परिसर विकास मद की राशि से पुर्ननियोजित किया जाय।

(कार्यवाही - वित्त शाखा)

२३. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2006 के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुचित साधन संबंधी प्रकरण के लिए अनुचित साधन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा एवं कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई। अनुचित साधन समिति के द्वारा अनुशंसा के पश्चात् प्रकरण में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - गोपनीय शाखा)

२४. **विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पदोन्नति तिथि से ही आर्थिक लाभ प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।**

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

(कार्यवाही - प्रशासन एवं वित्त शाखा)

२५. वार्षिक परीक्षा २००६ में प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा २००५-०६ के प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित थाना सरस्वती नगर रायपुर के अप.क्र. ५६/०६ एवं ५८/०६ के संबंध में पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रेषित पत्र क्रमांक पुमु/२सी/०२/०६/सीआईडी-१/३१४/०६ दिनांक १.९.२००६ से कुलपति ने कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को अवगत कराया। इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने यह कहा कि इससे विश्वविद्यालय की छबि धूमिल हुई है जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्र में स्पष्ट लिखा है कि परचे लीक चाणक्य महाविद्यालय केंद्र से उनके कर्मचारियों के माध्यम से हुए है एवं यह भी लिखा है कि प्राचार्य ने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया एवं प्रश्न पत्रों को सुरक्षित नहीं रखा। इस महाविद्यालय के कारण विश्वविद्यालय को अनेक कठिनाईयों को सामना करना पड़ा। अतः परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चाणक्य महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता समाप्त किया जावे तथा इस महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था स्थानांतरण प्रकरण मानते हुये अन्य महाविद्यालय में किया जावे। यह भी निर्णय लिया कि प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य बिंदुओं पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षण कराया जावे।

२६. छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. के बीच एम.ओ.यू करने के संबंध में विचार करना।

टीप- कुलपति जी ने समस्त सदस्यों को अवगत कराया कि छ.ग.राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी मुख्य रूप से वि.वि. के पाठ्यक्रमों के प्रकाशन से संबंध रखता है अतः कार्य की दृष्टि से दोनों के शैक्षणिक विकास के लिये मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। शासन से चर्चा के पश्चात मौखिक रूप से सहमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय परिसर स्थित जमीन (जो शासन से प्राप्त

है) में से दो एकड़ लगभग इसके भवन हेतु चिन्हित किया गया है तथा इसे शासन की अनुमति के बाद आबंटित किया जाना है। कुलपति जी ने यह अवगत कराया कि इस भवन में तीन शोध पीठों के कार्यालय होंगे उसमें व्याख्यान हाल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये स्थान आरक्षित होंगे अर्थात् भवन इसे ध्यान में रखकर निर्मित होगा जिसके लिये शासन सहमत है। अतः इसी आशय के साथ एम.ओ.यू. में छ.ग. राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से श्री रमेश नैयर संचालक एवं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव हस्ताक्षर करेंगे।

निर्णय सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - छ.ग.राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी शाखा एवं अध्यक्ष शोध पीठ)

२७. प्रत्येक वर्ष १ नवम्बर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस तिथि को प्रत्येक वर्ष पं.रविशंकर शुक्ल स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जावे। इस वर्ष व्याख्यान हेतु न्यायमूर्ति श्री आर.सी.लाहोटी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली को आमंत्रित करने का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - प्रशासन शाखा)

२८. वर्ष २००६-०७ में दीक्षांत समारोह के आयोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से १३वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जनवरी २००७ में करने हेतु अनुमोदन किया गया। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली को आमंत्रित करने की अनुशंसा करते हुये निर्णय लिया गया कि कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही किया जावे।

(कार्यवाही - प्रशासन शाखा)

२९ साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला में **भाषा प्रयोगशाला** (Language Lab)स्थापित करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमति दी गई।

(कार्यवाही - साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला)

३० साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला की इम्प्रेस्ट राशि को रूपये १५००/- से बढ़ाकर रू.३०००/- करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमति दी गई।

(कार्यवाही - वित्त शाखा एवं साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला)

३१. कार्यपरिषद के कार्यवृत्त में त्रुटि होने पर सदस्यों के द्वारा जानकारी प्रदान करने संबंधी।

निर्णय यदि कार्यवृत्त में कोई त्रूटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से १५ दिवस के भीतर कुलसचिव को सूचित किया जावे।

(कार्यवाही - अकादमिक शाखा)

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति 29-9-06

कुलसचिव 29/IX/06

पृ.कमांक :9302/अका./का.प./2006
प्रतिलिपि :–

रायपुर, दिनांक :06.12.2006

१. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रूटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से १५ दिवस के भीतर कुलसचिव को सूचित करने का कष्ट करें।

3. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,

4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)